

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 259/2024
अनवान : -

1. कविता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

-वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादीया
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 21 जेएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता स0 159/156 की कुल 2.0880 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम छोटी पुत्री रामप्रताप दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादीया का सही व वास्तविक नाम कविता पुत्री रामप्रताप है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादीया का नाम दुरुस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम छोटी पुत्री रामप्रताप दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादीया का सही व वास्तविक नाम कविता पुत्री रामप्रताप है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में न~~दर्ज~~ दर्ज होने से वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। वाद वादीया डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 21 जेएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता स0 159/156 की कुल 2.0880 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादीया ने अपना नाम छोटी पुत्री रामप्रताप के स्थान पर कविता पुत्री रामप्रताप दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वाद भूमि में वादीया का नाम छोटी पुत्री रामप्रताप सहवन से दर्ज हुआ है लेकिन वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो की उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में किस आदेश के द्वारा एवं कब दर्ज हुआ है अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादीया स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः वादीया द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण वाद वादीया खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Dalul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 259/2024

अनवान : -

1. कविता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

-वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 259 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादीया द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादीया खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर